


<p>तारीख हुक्म 10/2021</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियट्या जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>26.04.2023</p>	<p>पत्रावली आज दिनांक को प्रशासन गांव के संग अभियान 2023 केम्प के तहत केम्प कोर्ट रायला पर पेश हुई। प्रकरण को अवलोकन किया गया। अवलोकन से प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके पक्ष में प्रार्थी द्वारा ग्राग रायला जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 तक की संलग्न की गयी है। प्रकरण मूल रूप से पत्थरगढी/सीमांकन से संबंधित होने से किसी अन्य खातेदारान/पड़ौशियान के हक अधिकार प्रभावित नहीं होते है न ही किसी प्रकार के हक अधिकार निर्धारित किये जाते है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी वावत वर्णित तथ्यों से मेरा समाधान हो जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं। आराजी नम्बर 184 कुल कित्ता 01 रकबा 1.3658 है0 दर्ज रेकार्ड होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है। निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली करवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा </p>	



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी निरमा बिश्नोई आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर - 18/2021 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

- 1- सरजु पिता उदा बोला नि. रायला तहसील बनेड़ा
- 2- सोहनी पिता उदा बोला नि. रायला तहसील बनेड़ा

-प्रार्थीगण

बनाम

- 1- भैरू पिता गोकल रेगर नि. रायला तहसील बनेड़ा
- 2- तहसीलदार बनेड़ा

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

अधिवक्ता प्रार्थी:- के.के. जीनगर

निर्णय

दिनांक :- 26/04/2023


प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज०भू०राज० अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम रायला, पटवार हल्का रायला, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रायला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 184 कुल कित्ता 01 रकबा 1.3658 है० के खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजियात की भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। विद्वान अधिवक्तागण पक्षकारान की बहस सुनी और उस पर मनन किया। पत्रावली और उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहन अवलोकन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया ग्राम रायला, पटवार हल्का रायला, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रायला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 184 कुल कित्ता 01 रकबा 1.3658 है० भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज है। उक्त भूमि को लेकर पड़ोसी खातेदारों के मध्य यदि स्पष्ट सीमा विभाजक चिन्ह नहीं होते है तो परस्पर सीमा-विवाद होना स्वाभाविक है। प्रार्थना पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का खातेदार एवं कब्जेकाश्त है। धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 में प्रावधान है कि सीमा विवादों का निस्तारण धारा 111 में वर्णित प्रक्रिया का पालन करते हुए किया जाएगा। अतः हम प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार करना विधिसंगत समझते है।


जाय

// आदेश //

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 128, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार बनेड़ा को निर्देश दिये जाते हैं कि वह प्रार्थी खातेदार की ग्राम रायला में स्थित आराजीयात् में से आराजी नम्बर 184 कुल किता 01 रकबा 1.3658 है 0 भूमि का राजस्थान भू-राजस्थान अधिनियम 1956 की धारा 111 में वर्णित प्रक्रिया से सीमाज्ञान करते हुए सीमा-विवाद का निस्तारण करें एवं खातेदार की खातेदारी भूमि पर संबंधित खातेदार के हर्जे-खर्जे पर सीमा विभाजक रोपित करावें। उभय पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वक्त कार्यवाही मौके पर उपस्थित रहें। तहसीलदार बनेड़ा को निर्णय की पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।


(निरमा बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 26/04/2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर केम्प कोर्ट मुख्यालय रायला पर सुनाया गया।


(निरमा बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा